फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

डूगाराम बनाम् मुकनाराम मुकदमा नं.– 74/2019

किस्म प्रकरण : वाद

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिसिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
27/7/ [illegible]	वकीलान उप तहसीलदार जायल से P.D रिपोर्ट प्राप्त होकर शा० मि० है। जो पत्रावली पर ली जाती है। P.D पर वकीलान को सुना गया जिन्होंने P.D रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया अतः वादीगण का वाद माफिक P.D रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विलम्ब मिसल [illegible] लिया जाकर शा० मि० है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या – 74/2019

वादीगण–

1. उमाराम पुत्र मुकनाराम
2. हरीराम पुत्र मुकनाराम
3. हजारीराम पुत्र मुकनाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–सुरपालियां ,तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मुकनाराम पुत्र जवानाराम
2. खेतुड़ी पुत्री मुकनाराम
3. परमाई पुत्री मुकनाराम
4. हरकी पुत्री मुकनाराम
5. सुवटी पुत्री मुकनाराम
6. संतुड़ी पुत्री मुकनाराम
7. चुका पुत्री मुकनाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–सुरपालिया, तहसील–जायल
8. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री नाथूराम ईनाणियां, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश बिड़ियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 27/07/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 जो कि एक परिवार के सदस्य है तथा इनके

27/07/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बबेर के खेत मौजा निम्बोड़ा तहसील जायल में खसरा नं. 98, 100,101 ,108 व ग्राम सुरपालिया में खसरा नं. 285 एवं खसरा नं. 288 के रूप में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ग) अनुसार कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराये जाने हेतु वाद पत्र पेश किया है तथा माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करने की इस्तदुआ वकील वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में की।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर ने इकबाली जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हरिराम, उमाराम के पेश हुये। इसके अलावा ग्राम पंचायत सुरपालिया द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 17.09.2019, नकल जमाबन्दी ग्राम सुरपालिया सम्वत्, 2053–2061, प्रदर्श–1 से 4 व नकल जमाबंदी 2069–2072 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी ग्राम निम्बोड़ा सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श–6 पेश किये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से7 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिय जवाब वादपत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 से द्वारा इकबालिया जवाब में पक्षकारान के मध्य मौजा निम्बोड़ा तहसील जायल में खसरा नं. 98, 100,101 ,108 व ग्राम सुरपालिया में खसरा

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नं. 285 एवं खसरा नं. 288 भूमि का आपसी सहमति बंटवारा माफिक वादपत्र पैरा अनुसार होने की बात को स्वीकारा है तथा इकबालिया जवाब के वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इकबालिया जवाब के स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियां गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। पिता के जीवनकाल में पुश्तैनी भूमि का बंटवारा तथा अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा निम्बोड़ा तहसील जायल में खसरा नं. 98, 100,101 ,108 व ग्राम सुरपालिया में खसरा नं. 285 एवं खसरा नं. 288 की भूमि का माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ग) अनुसार बंट चाहा है। वादपत्र में वर्णित खसरान् की भूमि का पक्षकारान् द्वारा किया गया विभाजन पूर्णरूपेण प्रतीत नहीं होने से तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के हिस्से में किसी प्रकार की भूमि नहीं रखने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.10.2019 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये जाकर तहसीलदार जायल से पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आदेश पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल ने उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 25.10.2019 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021 /620 दिनांक 04.02.2021 के प्रेषित किये जो सामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वकुलाय को बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया है जिन्होने बंटवारा प्रस्ताव सही होना जाहिर किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव के वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने को निवेदन किया। तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि बंटवारा प्रस्ताव पर वादीगण उमाराम, हरीराम, हजारीराम व प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारान् बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हक हिस्से में मुतदाविया खेताय की भूमि में से किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मुतदाविया खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा के आदेश के साथ वाद पत्र निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश : :—

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी उमाराम के हक बंट में मौजा–सुरपालिया तहसील जायल के खसरा नं. 285 रकबा 4.8319 हैक्टैयर में से 0.809 हैक्टेयर, उतरी पूर्वी कोना, ग्राम–निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 98 में से 16 बीघा पूर्वी हिस्सा, खसरा नं. 100 में से 1.13 बीघा प्रस्तावित मार्ग से दक्षिणी तरफएवं 30.11 बीघा प्रस्तावित मार्ग के उतरी तरफ माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।

2. वादी हजारीराम के हक बंट में मौजा–सुरपालिया तहसील जायल के खसरा नं. 285 रकबा 4.8319 हैक्टेयर में से रकबा 0.809 हैक्टैयर उतरी पूर्वी मध्यम हिस्सा, ग्राम–निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 101 में से 3.05 बीघा प्रस्तावित मार्ग से पूर्वी भाग तथा रकबा 23.19 बीघा पश्चिमी भाग, ग्राम निम्बोड़ा के खसरा नं. 100 में से 22.04 बीघा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पश्चिमी भाग माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।

3. वादी हरीराम के हक बंट में मौजा सुरपालिया के खसरा नं. 285 रकबा 4.8319 हैक्टेयर में से रकबा 4.6701 हैक्टैयर नजरी नक्शानुसार (पीडी) खसरा नं. 288 रकबा 2.1853 हैक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।

4. वादीगण उमाराम, हजारीराम के सामलाती हक बंट में मौजा निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 100 में से 0.12 बीघा तथा खसरा नं. 101 में से 0.12 बीघा संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

5. तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का मुतदाविया खेताय में हक हिस्सा नहीं रखे जाने से नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

6. तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव निर्णय/आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

27/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या – 74/2019

वादीगण–
1. उमाराम पुत्र मुकनाराम
2. हरीराम पुत्र मुकनाराम
3. हजारीराम पुत्र मुकनाराम
जातियान–जाट निवासीगण–सुरपालिया ,तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. मुकनाराम पुत्र जवानाराम
2. खेतुड़ी पुत्री मुकनाराम
3. परमाई पुत्री मुकनाराम
4. हरकी पुत्री मुकनाराम
5. सुवटी पुत्री मुकनाराम
6. संतुड़ी पुत्री मुकनाराम
7. चुका पुत्री मुकनाराम
जातियान–जाट, निवासीगण–सुरपालियां, तहसील–जायल
8. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री नाथूराम ईनाणियां, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश बिड़ियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तंई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नाथूराम ईनाणियां अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हाजरी श्री मुकेश बिड़ियासर प्रतिवादी संख्या 8, राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

27/07/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादी का वाद तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है

1. वादी उमाराम के हक बंट में मौजा–सुरपालिया तहसील जायल के खसरा नं. 285 रकबा 4.8319 हैक्टैयर में से 0.209 हैक्टेयर, उत्तरी पूर्वी कोना, ग्राम–निम्बोड़ा तहसील जायल ,के खसरा नं. 98 में से 16 बीघा पूर्वी हिस्सा, खसरा नं. 100 में से 1.13 बीघा प्रस्तावित मार्ग से दक्षिणी तरफएवं 30.11 बीघा प्रस्तावित मार्ग के उत्तरी तरफ माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. वादी हजारीराम के हक बंट में मौजा–सुरपालिया तहसील जायल के खसरा नं. 285 रकबा 4.8319 हैक्टैयर में से रकबा 0.809 हैक्टैयर उत्तरी पूर्वी मध्यम हिस्सा, ग्राम–निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 101 में से 3.05 बीघा प्रस्तावित मार्ग से पूर्वी भाग तथा रकबा 23.19 बीघा पश्चिमी भाग, ग्राम निम्बोड़ा के खसरा नं. 100 में से 22.04 बीघा पश्चिमी भाग माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है।
3. वादी हरीराम के हक बंट में मौजा सुरपालिया के खसरा नं. 285 रकबा 4.8319 हैक्टैयर में से रकबा 4.6701 हैक्टैयर नजरी नक्शानुसार (पीडी) खसरा नं. 288 रकबा 2.1853 हैक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
4. वादीगण उमाराम, हजारीराम के सामलाती हक बंट में मौजा निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 100 में से 0.12 बीघा तथा खसरा नं. 101 में से 0.12 बीघा संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
5. तहसीलदार जायल प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का मुतदाविया खेताय में हक हिस्सा नहीं रखे जाने से नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क जमा होने पर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव निर्णय/आदेश का भाग रहेगा।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल–(नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 74/2019
उमाराम बनाम मुकनाराम वगैराह

तीज – मुबलिग – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/07/2024....... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

27/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner